

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2022—वैशाख 22, शक 1944

औद्योगिक, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ 1 (1)-02-2022-बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 12 मई 2022

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वाष्ययंत्र निरीक्षकालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती (विनियमन तथा पद्धति) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं,  
अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम-2 (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“2 (ङ): परीक्षा : सेवा में सीधे भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्षों की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । परीक्षा कालावधि के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क. सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के अनुसार वृत्तिका देय होगी ।”

2. विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

अनुसूची-एक  
(नियम 3 देखिए)

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	भृत्य	14	चतुर्थश्रेणी	मेट्रिक्स - 1 रु० 15500-49000

अनुसूची-दो  
(नियम 3 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 3 देखिए)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 3 देखिए)	अन्य सेवा से व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा (नियम 3 देखिए)	
1	2	3	4	5	6	7
औद्योगिक, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश	भृत्य	14	100 प्रतिशत	-	-	-

अनुसूची-तीन  
(नियम 3 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु एवं अर्हता

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
औद्योगिक, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश	भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	संभागीय पूर्व माध्यमिक परीक्षा अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	-

अनुसूची-चार  
(नियम 3 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिसपर पदोन्नति की जानी है	अगले उच्च पद पर पदोन्नति हेतु फीडर पद पर न्यूनतम सेवा	चयन के लिए प्रक्रिया	अभियुक्ति	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5	6	7
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश	मृत्यु	सहायक ग्रेड-तीन	10 वर्ष	जेष्यता सह-योग्यता	<p>1. सहायक ग्रेड-3 के 25 प्रतिशत पद उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जाएंगे जिन्होंने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकण्डरी परीक्षा अथवा 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, और</p> <p>2. 20 शब्द प्रति मिनिट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) प्रमाणपत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p>3. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी भी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा आवश्यक रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए :- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर की कम्प्यूटर परीक्षा (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर की कम्प्यूटर परीक्षा (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की कम्प्यूटर परीक्षा (घ) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन आफिस मैनेजमेंट तथा सचिवालयीन कार्य पाठ्यक्रम।</p> <p>4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.06.2009 के अनुसार, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें असफल रहने पर, उनके मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-10/03/3/एक दिनांक 1.04.2003 के अनुसार, 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त शर्त से छूट प्राप्त होगी।</p>	<p>1. संचालक बायलर -अध्यक्ष</p> <p>2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि - सदस्य</p> <p>3. उप संचालक बायलर या निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक या ग्रेड-दो -सदस्य सचिव</p>

F No. F-1 (1) 0w-2022-B-Eleven

Bhopal, the 12th May 2022

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Boilers Inspectorate Service class IV (Regulation and Procedure) Recruitment Rules, 1977, namely :-

### AMENDMENTS

In the said rules,-

1. After rule - 2(d) the following rule shall be added, namely :-

"2 (e) Probation : Every person directly recruited to the service shall be appointed on Probation for a period of three years. During Probation periods stipend shall be paid in accordance with the General Administration Departments Memo no. C 3-13/2019/3/One Dated 12.12.2019."

2. For the existing Schedule I, II, III and IV the following Schedules shall be substituted, namely:-

#### "SCHEDULE - I ( See Rule- 3)

S.No.	Names of the posts included in the service	Number of Post	Classification	Pay Scale
1	2	3	4	5
1	Peon	14	Class-IV	Matrix-1 Rs. 15500--49000

#### SCHEDULE - II ( See Rule- 3)

Name of the Department	Name of Service	Total Number of duty posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remark
			By Direct Recruitment [ See Rule-3]	By Promotion of the members of service [ See Rule-3]	By transfer of person from other service [ See Rule-3]	
1	2	3	4	5	6	7
Industrial Policy and Investment Promotion Department Madhya Pradesh	Peon	14	100%	-	-	-

#### SCHEDULE - III ( See Rule-3)

#### AGE AND QUALIFICATION FOR DIRECT RECRUITMENT

Name of the Department	Name of post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
1	2	3	4	5	6
Industrial Policy and Investment Promotion Department Madhya Pradesh	Peon	18 Years	40 Years	Must have passed 8 <sup>th</sup> class from the Divisional Pre middle Examination or from any institution recognized by the Government of Madhya Pradesh	

SCHEDULE-IV  
(See Rule-3)

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made .	Minimum Service on the feeder post for promotion on next higher post	Procedure for Selection	Remark	Name of members of the Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5	6	7
Industrial Policy and Investment Promotion Department Madhya Pradesh	Peon	Assistant Gr-III	10 Years	Seniority -cum merit	<p>1. 25 percent Posts of Assistant Gr-III will be filled in by those Class-IV employees who have passed the Higher Secondary Or 12th (10+2) Examination from Madhya Pradesh Board of Secondary Education or of any Institution recognized by the Government of Madhya Pradesh and have completed regular service for at least ten years, and</p> <p>2. Must have passed the Examination certificate proficiency certification test (C.P.C.T.) conducted by Science and Technology department with a speed of 20 words per minute. Certificate (score card).</p> <p>3. Must have essentially passed Computer Examination from any one of following recognized Institutions :-</p> <p>(a) Diploma level Computer Examination from any University recognized by the University Grants Commission.</p> <p>(b) Diploma level Computer Examination from any Open University recognized by University Grants Commission.</p> <p>(c) Diploma level Computer Examination from D.O.E.A.C.C.</p> <p>(d) Modern Office Management and Secretarial Practice Course from any Government Polytechnic College.</p> <p>4. Must have passed Computer Examination as per the circular dated 12-06-2009 of General Administration Department , Government of Madhya Pradesh within probation period of three years failing which they shall be reverted back to their original Class IV posts. Government of Madhya Pradesh , General Administration Department Memo No. C-3-10/03/3/one dated 01.04.2003 Class IV employees of more than 45 years of age shall be exempted from the above condition.</p>	<p>1. Director of Boilers - Chairman</p> <p>2- One Representative of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe - Member</p> <p>3- Dy. Director of Boilers or Inspector of Boilers Gr-I or Gr-II -Member Secretary</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. बरौनिया, अपर सचिव.